

१०/१०/२१

२७२  
C&C(P)/AAD

M.D. 30-01-21

संख्या-127/111(2)/21-29(एम०एल०ए०)/2017ठी.री.

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-591/2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झाबेरडा में लेबर चौक रुड़की में प्रेमनगर-सरकड़ी-कलेमपुर होते हुए खाताखेड़ी फाटक तक सड़क निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, नि.ख. लो.नि.वि., रुड़की द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन जिसकी कुल लम्बाई 3.750 किमी० एवं लागत ₹160.83 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 151.73 लाख (₹ एक करोड़ इक्कावन लाख तिहत्तार हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव रोली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण रो सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitale आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समर्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समर्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

M

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा रवीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) रवीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्ता के विषय में समय-समय पर निर्गत रामरत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि रवीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान रां0-22, लेखाधीशक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य राडके-337 राडक निर्माण कार्य-03 राज्य रोक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। (5054-04-800-03-02)

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-855 / xxvii(2)/2021 दिनांक 26 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
Ranu  
(रमेश कुमार सुधारणा)  
सचिव।

संख्या— (I) / III (2) / 21-29 (एम.रु.ल.ए.) / 2017 T.C तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून
2. सचिव, गा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल भार्डत, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. अधिकारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., रुडकी।
11. माई फाईल।

कार्यालय  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

मि:- 02-2-21

आज्ञा दे,

(इयाज सिंह)  
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासनादेश द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2021 को द्वारा दिनांकित।

मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासक अधिकारी  
कार्यालय प्रमुख अधिकारी एवं नियामन  
लो.नि.वि. देहरादून

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021 )**  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -127/III(2)/21-29(MLA)17 T.C.  
 अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21010220020  
 आवंटन पत्र दिनांक-29-JAN-2021

लोक शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
 परिव्यय  
 337-सड़क निर्माण कार्य  
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
 800-03-02 से स्थानान्तरित )

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

०	५	४	०	४	३	३	७	०	३	०	२
मानक मद का नाम			पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
३-सड़क निर्माण			2590000		10000		0		2600000		
योग			2590000		10000		0		2600000		

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER